भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2049

मंगलवार, 11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

सकल घरेलू उत्पाद

2049. श्री टी. आर. बालूः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में दस वर्षों के दौरान विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी पिछले जीडीपी के लगभग 15 प्रतिशत पर स्थिर रही है;

(ख) सरकार द्वारा इस प्रमुख मामले के समाधान के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उपचारात्मक उपायों के परिणामस्वरूप सुधार के परिणामों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): देश के विनिर्माण क्षेत्र ने पिछले दशक में वृद्धि दर्ज की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार, स्थिर मूल्यों पर विनिर्माण क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन (जीवीए), वर्ष 2013-14 के 15.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2023-24 (पहला संशोधित अनुमान (एफआरई)) में 28.3 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसके अलावा, स्थिर मूल्यों पर कुल जीवीए के प्रतिशत के रूप में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2013-14 के 17.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 17.5 प्रतिशत हो गई।

(ख) और (ग): सरकार ने अवसंरचना विकास, बढ़े हुए निवेश और सुदृढ़ श्रम बाजार को प्राथमिकता देते हुए विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह क्षेत्र समावेशी वृद्धि और आर्थिक विकास के प्रमुख संवाहक के रूप में कार्य करे। 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरुआत की गई है, ताकि भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाया जा सके। वर्तमान में, 'मेक इन इंडिया' 15 विनिर्माण क्षेत्रों सहित 27 क्षेत्रों पर फोकस कर रहा है, जिसे

विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए और भारत की विनिर्माण क्षमताओं तथा निर्यात को बढ़ाने हेतु 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की शुरुआत की गई है। इसमें मोबाइल और विशेष इलेक्ट्रॉनिक घटक, ड्रग इंटरमीडियरीज और एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स सामग्री, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स, विशिष्ट इस्पात, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी), खाद्य उत्पाद, वस्त्र उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, एडवांस्ड कैमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी तथा ड्रोन और ड्रोन घटक शामिल हैं। इन स्कीमों में उत्पादन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने, विनिर्माण आउटपुट में बढ़ोतरी करने और भविष्य में तीव्र गति से आर्थिक विकास में योगदान करने की क्षमता है। इन 14 क्षेत्रों से अक्तूबर, 2024 तक, 1.48 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश प्राप्त हुआ है, जिसके फलस्वरूप 13.13 लाख करोड़ रुपए से अधिक वृद्धिशील उत्पादन/बिक्री हुई है और 9.7 लाख से अधिक रोजगार सृजन हुआ है। पीएलआई स्कीमों के फलस्वरूप 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात संभव हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों का योगदान महत्वपूर्ण है।

भारत सरकार ने 28,602 करोड़ रुपए (भूमि लागत सहित) की कुल परियोजना लागत से राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 12 नए परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य औद्योगिक आउटपुट को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, भू-खण्ड स्तर पर 'प्लग एंड प्ले' अवसंरचना प्रदान करते हुए नए और बढ़ते कार्यबल के लिए बेहतर जीवनयापन एवं सामाजिक सुविधाएं प्रदान करना तथा उद्योगों के लिए गुणवत्तापूर्ण, भरोसेमंद, दीर्घकालिक व स्थायी अवसंरचना प्रदान करके देश में विनिर्माण में निवेश को सुविधाजनक बनाना है।

अन्य प्रमुख पहलों में स्टार्ट-अप इंडिया, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, जीआईएस आधारित भूमि बैंक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में सुधार, मल्टी-मोडल अवसंरचना की एकीकृत आयोजना के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान, प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना में आनेवाली बाधाओं को दूर करने के लिए परियोजना मानीटरिंग समूह, औद्योगिक पार्कों की स्थापना करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने के लिए कार्यक्रम, अनुपालन बोझ में कमी के उपाय करना,

श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाना, वस्तु और सेवा कर की शुरुआत करना, कॉरपोरेट कर की दर में कमी करना, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेशों, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपाय इत्यादि शामिल हैं।

****